

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI

**INDEX**

*IN*

Original Application No. 577 of 2025

In

Jeevan Singh

Applicant

Vs.

State of Uttarakhand & Ors.

Respondent(s)

**ADDITIONAL RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF  
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD**

**(RESPONDENT NO.4)**

Sr. No.	Description of Documents	Page Nos.
1.	Index	1
2.	Response Affidavit	2-4
3.	<b>Annexure No. 1:</b> (Copy of Show Cause Notice dated 04.02.2026)	5-8
4.	<b>Annexure No. 2:</b> (Copy of the reply dated 09.03.2026)	9-29
5.	<b>Annexure No. 3:</b> (Copy of the letter dated 28.03.2026)	30
6.	<b>Annexure No. 4:</b> (Copy of the letter dated 28.03.2026 along with the report)	31-48

Date:

Place: Dehradun 17.04.2026



Mukesh Verma, Advocate  
(Counsel for Respondent No. 4)

Chamber No. 50,  
Supreme Court of India, New Delhi

9810108098

[mvermadv@gmail.com](mailto:mvermadv@gmail.com)




BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 577 of 2025

In

Jeevan Singh



Vs.

State of Uttarakhand & Ors.

Respondent(s)

**ADDITIONAL RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF**  
**UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD**  
**(RESPONDENT NO.4)**

AFFIDAVIT of Dr. Parag Madhukar Dhakate, aged about 52 years S/o Shri M.B Dhakate Presently posted as Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Uttarakhand.

Deponent

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

1. That the deponent is presently posted as the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board and as such is fully conversant with the facts of the case and is competent to sign and swear the instant affidavit.

2. That the above-mentioned matter was listed for hearing on 30.03.2026 wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions: -



“ .....

*2. Additional responses may be filed by the respondents no.4 and 5 at least one day before the next date of hearing.*

.....”

3. It is respectfully submitted that the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board vide letter dated 04.02.2026 issued a Show Cause Notice to the Executive Officer, Nagar Panchayat, Banbasa, as to why action should not be initiated against the concerned officers/agencies, including taking cognizance of the offence under Section 49(a) of the Water Act, and file complaint case before the Hon'ble designated court, and imposition of environmental compensation. In this connection a copy of the Show Cause Notice dated 04.02.2026 is hereby being filed as **Annexure no.1** to this affidavit.
4. That consequently, the Executive Officer, Nagar Panchayat, Banbasa, vide reply dated 09.03.2026 submitted his response to the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board addressing the observations and recommendations/remedial made by the Joint Committee constituted in compliance of the order of the Hon'ble NGT. In this connection a copy of the reply dated 09.03.2026 is hereby being filed as **Annexure no.2** to this affidavit.
5. That the Chief Environment Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, vide letter dated 28.03.2026, directed the Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani to conduct an inspection of the site, assess the current compliance status and submit a detailed inspection report. In this connection, a copy of the letter dated 28.03.2026 hereby being marked and filed as **Annexure no.3** to this affidavit.



- 6. That the Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani, vide letter dated 28.03.2026, informed the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board that the body is not complying with the Solid Waste Management Rules, 2016 and the directions imposed in the Show Cause Notice issued by the Board. In this connection, a copy of the letter dated 28.03.2026 along with the report is collectively being filed and marked as Annexure no.4 to this affidavit.
- 7. That the Uttarakhand Pollution Control Board is currently scrutinizing the report received from the Regional Officer, Haldwani and necessary action shall be taken in accordance with law.
- 8. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

*[Handwritten Signature]*  
Deponent

**Verification: -**

Verified at Dehradun on the 16<sup>th</sup> day of April 2026, that the contents of the response affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the official record and nothing is false, and no material has been concealed therein.

Identified by: Priyanka Jina  
Advocate  
UK/1475/2022

*[Handwritten Signature]*  
15/04/26

*[Handwritten Signature]*  
Deponent



affidavit is sworn before me by  
Do. B. Jina, Advocate  
at Dehradun on 16/04/2026  
Adv.  
KM. URMILA BHATIA  
Advocate & NOTARY, Dehradun



UKPCB/HO/MSW-8/251

Date: 29.01.2026

Speed Post

04/02/26

To,

**Executive Officer,  
Nagar Panchyat, Banbasa  
Distt- Champawat.**

**Directions under Section -5 of Environment (Protection) Act – 1986**

**WHEREAS, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India** has promulgated Solid Waste Management Rules, 2016 under Environment (Protection) Act, 1986; and

**WHEREAS, as per Rule – 20 of the Solid Waste Rules, 2016, the Urban local bodies located in hilly areas shall implement extra measures in addition to duties and responsibilities assigned under Rule-15; and**

**WHEREAS, the Hon'ble NGT has passed an order dated 24.11.2025 in the matter of OA No. 577/2025, Jeevan Singh vs. State of Uttarakhand & Ors., wherein it has been observed that there is regular and illegal dumping of solid waste at Banbasa, Champawat, in violation of the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016, as amended from time to time; and**

**WHEREAS, in compliance with the aforesaid order of the Hon'ble NGT dated 24.11.2025, a inspection of the site was carried out by the Joint Committee constituted by this Board vide Office Order No. UKPCB/HO/GEN-183-953/2025/1466 dated 14.12.2025; and**

**WHEREAS, in respect of the said complaint, the joint inspection of the site was conducted on 24.12.2025, and the Joint Committee made the following observations:-**

- Population of Nagar Panchayat Banbasa area, as per census 2011 is 6023 & area of Municipal Council is 88.42 Hact.
- The site mentioned in the petition is of Nagar Panchayat Banbasa MSW dumping site Banbasa Canal forest. The google map of the site and photographs taken during the inspection. The geographical coordinates of dumpsite sharda canal forest are Lat. **28.990941°**, Long. **80.078713°** and marked on google map.
- Said site is located approximatly **300** Meters away from the office of Nagar Panchayat Banbasa. The Executive Officer Nagar Panchayat Banbasa informed that, the Municipal Committee since the formation, municipal waste disposal within the Municipal Committee has been taking place on land owned by the Uttar Pradesh Irrigation Deptt.

..cont..page-2

- 22/20/25
- d) As informed by the Executive Officer Nagar Panchayat Banbasa that total generation of Municipal Solid Waste from 07 wards is about 2.1 MT/Day. Nagar Panchayat Banbasa has adopted door to door collection mechanism. whole quantity is being dumped at the existing dumped site with about 60% segregation at source and about 100kg/day plastic & other waste is being segregated at the site.
  - e) At the time of inspection Municipal Solid Waste was found to be dumped in unscientific manner without any fencing/ boundary wall, storm water drain, leachate collection system, approach road to reach the end point, fire safety system and security arrangement at sharda canal forest. The google map showing the illegal MSW dumped site is enclosed.
  - f) The deposited waste also not covered or compacted and most cases in these open dump site waste remains susceptible to open burning.
  - g) The existing dump site may pose significant health hazards both to the general public living in the neighbourhood and nearby school children, as there was no arrangement to the control odour nuisance and pest infection in disputed site.
  - h) The Nagar Panchayat Banbasa has stopped the dumping/disposing/storing of Municipal Solid Waste at disputed land from 24.12.2025, as informed by Nagar Panchayat representative.
  - i) During inspection, it was also observed that to meetout with the requirement of per day waste generation, the Nagar Panchayat Banbasa started dumping the waste in illegally different site near by the office. Office of the Jileदार, First Subdivision, Banbasa Head Works, Sharda Canal Bareilly has also given notice for Illegal dump of MSW time to time.
  - j) At the time of inspection burning of solid waste was not observed at the site by the committee members. Executive Officer Nagar Panchayat Banbasa has informed that during the summer season some instances of fire were reported.
  - k) Nagar Panchayat Banbasa has provided material recovery facility and compost pits at the near office site, but not found in operational during visit. The compost pits were observed without any waste. At present, there is no storm water and leachate was found accumulated at the site.
  - l) There is no mechanism of fire safety arrangement at the MSW site, but Nagar Panchayat Banbasa informed that fire fighting vehicles were used at the time of fire in dump site.  
The site is affected by foul odour and several animals and pets were observed in the around which can further act as vectors to the surrounding people.
  - m) Moreover, as per EC Meeting held on 21st May 2025 under the Chairmanship of Chief Secretary & Subsequent review meeting held with the District Magistrate of Champawat on 27th July 2025, an integrated solid waste management plan has been proposed to be undertaken as part of the master planning framework and this cluster model will cater the solid waste management of Khatima, Banbasa & Tanakpur also.

..cont..page-3


- n) As per Nagar Panchayat Banbasa new site has been also identified at Chandfarm Road, Chuna Bhatta. P.O-Chandani, Banbasa, District-Champawat. Site is about 5.0Km away from the international boundary of Nepal. The total plot area is 8,000sq m the sanitary landfill area is 2,260 sq m 0.80 hact. Land transfer process is currently under process. After the land is transferred to the Nagar Panchyat Banbasa, the Banbasa Municipal Committee will dispose of the municipal waste at the site.
- o) As per DPR, the waste spread area to be reclaimed is land of First Subdivision, Banbasa Head Works, Sharda Canal Bareilly and total quantity of waste is about 4037.13 MT.
- p) Executive Officer Nagar Panchayat Banbasa also informed that the DPR for processing and disposal of legacy waste has already prepared and tendering process has been completed and awarded the work to M/s Ayushi Hygiene & Care Pvt Ltd, C-93 Mahaveer Vihar, Sector-1 Dwarka, New Delhi. As per the MOU, the agency has to dispose all the legacy waste by 6 (six) Months from the appointed date.
- q) As per Solid Waste Management-2016, authorization is not required for a waste processing facility that handels less than 5.0 MT of waste per day. More specifically rule-15 (y) of the SWM Rule-2016 stipulates that local authorities or operators need to obtain authorization from the State Pollution Control Board (SPCB) only for facilities exceeding installed capacity of 5.0 TPD. Facilities processing less then this amount do not required this specific authorization though all facilities must still comply with general SWM Rules regarding segregation, storage & disposal.

**WHEREAS,** As per observation of Joint Committee, it seems that the municipal corporation is not comply the provision under the SWM Rule 2016 as amended; and

**NOW THEREFORE,** in view of the above observations and in exercise of the power conferred under **Section 5 of Environment (Protection) Act-1986** as amended with approval of the competent authority of the Board, You are hereby directed to show cause within 30 days from the issue of this direction as to why following action against concerning officer/agencies shall not be initiated: -

- 1. Cognizance of offence under Section 49(a) of the Water Act shall not be taken & file compliant case before the Hon'ble designated court.**
- 2. Environment compensation shall not be imposed.**

**This issues with the approval of competent authority of this Board.**

  
**(Dr. Parag Madhukar Dhakate)**  
**Member Secretary**

..cont..page-4

**Letter No.:UKPCB/HO/MSW-****Dated: as above**

Copy to:

1. **Chairman, Uttarakhand Pollution Control Board** for kind information please.
2. **Secretary, Urban Development Department, Dehradun** for kind information.
3. **Director, Urban Development Directorate, Dehradun** for kind information and necessary action.
4. **District Magistrate, Almora** for kind information and necessary action.
5. **Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani, Distt. Nainital** for information and necessary compliance.
6. **Group Incharge (Kumaon Region), UKPCB, Head Office, Dehradun** for information and compliance.
7. Guard File.

**Member Secretary**

**!!कार्यालय नगर पंचायत बनबसा (चम्पावत)!!**

(स्वच्छता ही सेवा)

Email- [eo.nagarpanchayatbanbasa@gmail.com](mailto:eo.nagarpanchayatbanbasa@gmail.com)

पत्रांक - 2412/उ.प्रनि.बो./2025-26

दिनांक- 9/3/2026

सेवा में,

सदस्य सचिव,  
उत्तराखण्ड प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड,  
देहरादून।

Uttarakhand Pollution Control Board  
Diary No. 146  
Date 06/4/26

विषय:- उत्तराखण्ड प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड के पत्र संख्या UKPCB/HO/MSW-82/251  
दिनांक 04.02.2026 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या UKPCB/HO/MSW-82/251 दिनांक 04.02.2026 जो कि इस कार्यालय को दिनांक 19 फरवरी 2026 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा SWM rule 2016 as amended के प्रावधान का पालन नहीं करने हेतु कारण बताये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में माननीय एन.जी.टी के आदेशानुसार गठित संयुक्त समिति के स्थलीय निरीक्षण दिनांक 24 दिसम्बर 2025 के दौरान किये गये observation एवं Recommendations/Remedial Actions के प्रतिउत्तर निम्नवत है:-

**Observation during site visit by committee**

क्र० सं०	Observation	Answer
(a)	Population of Nagar Panchayat Banbasa area, as per census 2011 is 6023 & area of Municipal Council is 88.42 Hact.	Yes
(b)	The site mentioned in the pition is of Nagar Panchayat Banbasa MSW dumping site Banbasa Canal forest. The google map of the site and photographs taken during the inspection are enlosed as Annexure-03 The geographical coordinates of dumpsite Banbasa canal forest are Lat. 28.990941°, Long. 80.078713° and marked on google map.	Yes
(c)	Said site is located approximatly 300 Meters away from the office of Nagar Panchayat Banbasa. The Executive Officer Nagar Panchayat Banbasa informed that, the Municipal Committee since the formation, municipal waste disposal within the Municipal Committee has been taking place on land owned by the Uttar Pradesh Irrigation Deptt.	Yes
(d)	As informed by the Excutive Officer Nagar Panchayat Banbasa that total generation of Municipal Solid Waste from 07 wards is about 2.1 MT/Day. Nagar Panchayat Banbasa has adopted door to door collection mechanism. whole quantity is being dumped at the exisiting dumped site with about 40% segregation at source and about 33% plastic & other waste is being segregated at the site. Annexure.04	Yes

BB(P)  
S  
M

JRF (M)  
S  
M

अधिकासी अधिकारी  
नगर पंचायत  
बनबसा (चम्पावत)

क्र० सं०	Observation	Answer
(e)	At the time of inspection Municipal Solid Waste was found to be dumped in un-scientific manner without any fencing/ boundary wall, storm water drain, leachate collection system, approach road to reach the end point, fire safety system and security arrangement at Banbasa canal forest. The google map showing the illegal MSW dumped site is enclosed at Annexure.05	नगर पंचायत बनबसा द्वारा कूड़े के चारों ओर टीन शेड से चहारदीवारी की गई थी। चूंकि वर्तमान में उक्त स्थल पर कूड़े का निस्तारण का कार्य अन्तिम चरण में था, इस कारण चहारदीवारी हटा दी गई थी। नगर पंचायत बनबसा द्वारा उक्त स्थल पर प्लान्ट नहीं लगाया गया था। केवल सेग्रीगेशन के पश्चात कूड़े को डम्प किया जाता था, इस कारण अन्य व्यवस्था नहीं की गई थी। (पूर्व में लगाये गये टीन शैड के फोटोग्राफ संलग्न हैं)
(f)	The deposited waste also not covered or compacted and most cases in these open dump site waste remains susceptible to open burning.	तत्समय अधिकतम कूड़े का निस्तारण किया जा चुका था, अवशेष कूड़े के निस्तारण की प्रक्रिया गतिमान थी।
(g)	The existing dump site may pose significant health hazards both to the general public living in the neighbourhood and nearby school children, as there was no arrangement to the control odour nuisance and pest infection in disputed site.	नगर पंचायत बनबसा के पास अपनी तथा राजस्व विभाग के स्वामित्व की भूमि उपलब्ध न होने से उक्त स्थल पर कूड़ा एकत्रित किया जा रहा था। वर्तमान में उक्त स्थल से सम्पूर्ण कूड़े का निस्तारण किया जा चुका है। (फोटोग्राफ संलग्न हैं)
(h)	The Nagar Panchayat Banbasa has stopped the dumping/disposing/storing of Municipal Solid Waste at disputed land from 24.12.2025, as informed by Nagar Panchayat representative. Annexure.06.	नगर पंचायत बनबसा द्वारा दिनांक 24.12.2025 से उक्त स्थल पर कूड़ा एकत्रित करना बन्द कर दिया है, (प्रमाण पत्र संलग्न है)
(i)	During inspection, it was also observed that to meetout with the requirement of per day waste generation, the Nagar Panchayat Banbasa started dumping the waste in illegally different site near by the Nagar Panchayat office & Banbasa canal forest. Office of the Jiledaar, First Sub-division, Banbasa Head Works, Sharda Canal Bareilly has also given notice for illegal dump of MSW time to time. Copy of notice enclosed as Annexure.07	सिंचाई विभाग द्वारा उक्त स्थल से कूड़ा हटाये जाने हेतु इस कार्यालय को नोटिस दिये गये थे।
(j)	At the time of inspection burning of solid waste was not observed at the site by the committee members. Excutive Officer Nagar Panchayat Banbasa has informed that during the summer season some instances of fire were reported.	प्राकृतिक कारणों से तथा असमाजिक तत्वों द्वारा कूड़े में आग लगने से नगर पंचायत बनबसा द्वारा अपने संशाधनों से एवं फायर ब्रिगेड के सहयोग से तत्काल पानी का छिड़काव कर आग बुझा दी जाती है।


क्र० सं०	Observation	Answer
(k)	Nagar Panchayat Banbasa has provided material recovery facility and compost pits at the near office site, but not found in operational during visit. The compost pits were observed without any waste. At present, there is no strom water and leachate was found accumulated at the site. Annexure.08.	नगर पंचायत बनबसा द्वारा 01 टन प्रति दिन का Material Recovery Facility (MRF) सेन्टर नगर पंचायत बनबसा कार्यालय में बनाया गया है जिसमें प्रतिदिन सूखा कूड़ा अलग-अलग खानों में रखा जाता है तथा एक प्लास्टिक काम्पैक्टर एवं एक फटका मशीन लगाई गई है तथा 06 कम्पोस्ट पिट बनाये गये हैं। प्लास्टिक काम्पैक्टर से प्लास्टिक को काम्पैक्ट किया जाता है तथा फटका मशीन से प्लास्टिक साफ किया जाता है एवं गीला कूड़ा किचन से निकलने वाला कूड़ा तथा खराब साग-सब्जी, फल इत्यादि को पिटों में रखा जाता है। (फोटोग्राफ संलग्न हैं)।
(l)	There is no mechanism of fire safety arrangement at the MSW site, but Nagar Panchayat Banbasa informed that fire fighting vehicles were used at the time of fire in dump site.	Fire safety arengements नहीं लगाये गये हैं नगर पंचायत बनबसा द्वारा स्वयं एवं फायर ब्रिगेड की मदद से आग तत्काल बुझा दी जाती है।
(m)	The site is affected by foul odour and several animals and pets were observed in the around which can futher act as vectors to the surrounding people.	पूर्व में टीन शैड से कूड़ा कवर किया गया था, वर्तमान में कूड़ा छॉटने की मशीन लगाये जाने के कारण टीन शैड हटा दिया गया था।
(n)	Moreover, as per EC Meeting held on 21st May 2025 under the Chairmanship of Chief Secretary & Subsequent review meeting held with the District Magistrate of Champawat on 27th July 2025, an integrated solid waste management plan has been proposed to be undertaken as part of the master planing framework and this cluster model will cater the solid waste management of Khatima, Banbasa & Tanakpur also. (Annexure-09)	बनबसा क्षेत्र में अधिकतर भूमि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के स्वामित्व, वन एवं रेल विभाग की होने से क्लस्टर मॉडल में बनबसा, टनकपुर व खटीमा हेतु खटीमा में उपयुक्त स्थल के निर्धारण की प्रक्रिया गतिमान है। शीघ्र ही ऊधमसिंहनगर प्रशासन द्वारा शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड को भूमि आवंटित होनी है, जिसकी प्रक्रिया गतिमान है। (पत्र संलग्न है)

  
 अधिशासी अधिकारी  
 नगर पंचायत  
 बनबसा (चम्पावत)

क्र० सं०	Observation	Answer
(o)	As per Nagar Panchayat Banbasa new site has been also identified at Chandfarm Road, Chuna Bhatta. P.O-Chandani, Banbasa, District-Champawat. Site is about 5.0Km away from the international boundary of Nepal. The total plot area is 8,000sq m the sanitary landfill area is 2,260 sq m 0.80 hact. Land transfer process is currently under process. After the land is transfered to the Nagar Panchayat Banbasa, the Banbasa Municipla Committee will dispose of the municipal waste at the site. Copy of letter enclosed as Annexure. 10.	नगर पालिका परिषद टनकपुर एवं नगर पंचायत बनबसा के कूड़े के प्रबन्धन हेतु चूना भट्टा रोड में भी 0.80 हे० वन विभाग की भूमि का चयन किया गया है। जिसकी हस्तान्तरण की प्रक्रिया गतिमान है, वर्तमान में हस्तान्तरण का प्रस्ताव संख्या FP / UK /Others /33662/2018 Forest Clearance हेतु Secretary General के पास कार्यवाही हेतु गतिमान है। (Current Status संलग्न है)
(p)	As per DPR, the waste spread area to be reclaimed is land of First Subdivision, Banbasa Head Works, Sharda Canal Bareilly and total quantity of waste is about 4037.13 MT. Copy of DPR collected from the Nagar Panchayat Banbasa is enclosed as Annexure.11	नगर पंचायत बनबसा के पास डी०पी०आर० गठन के समय 4037.13 MT लीगैसी वेस्ट उपलब्ध था, जिसका वर्तमान में वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किया जा चुका है।
(q)	Excutive Officer Nagar Panchayat Banbasa also informed that the DPR for processing and disposal of legacy waste has already prepared and tendering process has been completed and awarded the work to M/s Ayushi Hygine & Care Pvt Ltd, C-93 Mahaveer Vihar, Sector-1 Dwarka, New Delhi. As per the MoU, the agency has to dispose all the legacy waste by 6 (six) Months from the appointed date. 22 June 2025 Copy of the MoU & work order issued by the Nagar Panchayat Banbasa is enclosed as Annexure. 12	वर्तमान में सम्पूर्ण कूड़े का अनुबन्धित फर्म M/s Ayushi Hygine & Care Pvt Ltd, C-93 Mahaveer Vihar, Sector-1 Dwarka, New Delhi द्वारा वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किया जा चुका है। (सम्बन्धित फर्म द्वारा पूर्ण कार्य किये गये का जारी प्रमाण पत्र संलग्न है)
(r)	As per Solid Waste Management-2016, authorization is not required for a waste processing facility that handels less than 5.0 MT of waste per day. More specifically rule-15 (y) of the SWM Rule-2016 stipulats that local authorities or operators need to obtain authorization from the State Pollution Control Board (SPCB) only for facilities exceeding installed capacity of 5.0 TPD. Facilities processing less then this amount do not required this specific authorization though all facilities must still comply with general SWM Rules regarding segregation, storage & disposal. Annexure.13.	चूना भट्टा रोड में स्थित वन विभाग की 0.80 हे० भूमि अथवा क्लस्टर के रूप में खटीमा में भूमि उपलब्ध हो जाने पर कूड़ा निस्तारण में SWM नियमों का पूर्ण पालन किया जायेगा।

**Recommendations/Remedial Actions by committee**

क्र० सं०	Recommendations/Remedial Actions	Compliance Report
1.	According to the Solid Waste Management-2016, the responsibility of collection, segregation, storage, transportation, treatment and disposal of municipal solid waste lies with the local body hence municipal committee Banbasa should comply with the Solid Waste Management-2016.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-2016 के सुसंगत नियमों का सम्यक अनुपालन हेतु नगर पंचायत बनबसा कटिबद्ध है, एवं प्रत्येक स्तर व चरण पर इसका अनुपालन अक्षरशः करने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं।
2.	District Administration should instruct to Irrigation Deptt. First Subdivision, Banbasa Head Works, Sharda Canal Bareilly U.P. to permit the Nagar Panchayat Banbasa regarding immediately fencing of the presence site to restrict the moment of animals at the dumping site & the developed necessary arrangement of MSW site as per Solid Waste Management Rule-2016 till allotment and development of new land.	जिलाधिकारी महोदय चम्पावत द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड, शारदा नहर बरेली, उत्तर प्रदेश को कार्यालय पत्र संख्या 1564/XXIII-स्था०नि०सहा०/2026 दिनांक 05 जनवरी 2026 द्वारा अनुपालन हेतु पत्र जारी किया जा चुका है (पत्र संलग्न है)।
3.	Nagar Panchayat Banbasa, should take immediate initiation with district administration for the allotment of the new landfill site and shall comply with the all provisions of Solid Waste Management Rule-2016 as amended for the disposal of municipal solid waste	बनबसा क्षेत्र में अधिकतर भूमि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के स्वामित्व एवं वन एवं पर्यावरण विभाग व नदी नालों के समीप होने के कारण क्लस्टर मॉडल में बनबसा, टनकपुर व खटीमा हेतु खटीमा में उपयुक्त स्थल के निर्धारण की प्रक्रिया गतिमान है। शीघ्र ही ऊधमसिंहनगर प्रशासन द्वारा शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड को भूमि आवंटित होनी है, जिसकी प्रक्रिया गतिमान है। अतः उपरोक्त पर नियमानुसार व तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। (पत्र संलग्न है)।
4.	The material recovered from the bio-mining process i.e RDF, C&D waste, inert material, bio- compost and other recyclable material should be disposed off as per CPCB guidelines.	नगर पंचायत बनबसा द्वारा वर्तमान में 10 TPD का ट्रोमल स्थापित किया गया है, जिससे सूखा कूड़ा अलग कर MRF में रखा जा रहा है तथा गीले कूड़े से पिट के माध्यम से खाद बनाई जा रही है साथ ही C&D वेस्ट से नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत गढ़वे भरे जा रहे हैं। (फोटोग्राफ संलग्न हैं)।

  
 अधिशासी अधिकारी  
 नगर पंचायत  
 बनबसा (चम्पावत)

क्र० सं०	Recommendations/Remedial Actions	Compliance Report
5.	Nagar Panchayat Banbasa take immediate action to prevent any unregulated burning of dump waste at any point of time.	नगर पंचायत द्वारा जहाँ पर वर्तमान में कूड़ा संग्रहण व प्रसंस्करण किया जा रहा है, वहाँ पर आग की घटनाओं की रोकथाम हेतु सी०सी०टी०वी० से लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है (सी०सी०टी०वी० फोटोग्राफ संलग्न हैं)।
6.	Nagar Panchayat Banbasa shall do dense plantation all around the dumping site to prevent the odour nuisance.	उपरोक्त क्षेत्र के आसपास पौधों के माध्यम से ग्रीन कर्टेन बनाये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करेंगे।


भवदीय

अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत बनबसा  
अधिसासी अधिकारी  
चम्पावत  
नगर पंचायत  
बनबसा (चम्पावत)




अभिजात प्रताप

अधिशाली अधिकारी  
नगर पंचायत  
बनबसा (चम्पावत)



*Handwritten signature*


अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत




## कार्यालय नगर पंचायत बनबसा

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नगर पंचायत बनबसा द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर 2025 से नगर पंचायत कार्यालय के सामने सिचाई विभाग उत्तर प्रदेश की भूमि पर अस्थाई डम्पिंग जोन में कूड़ा डालना बन्द कर दिया गया है।

  
अधिशाली अधिकारी  
नगर पंचायत बनबसा

  
प्रमाणित

  
अधिशाली अधिकारी  
नगर पंचायत  
बनबसा (चम्पावत)



Banbasa, Uttarakhand, India  
X3rg+prg, Banbasa, Uttarakhand 262310, India  
Lat 28.991852° Long 80.076852°  
13/05/25 12:00 PM GMT +05:30

GPS Map Camera




Banbasa, Uttarakhand, India  
X3rg+prg, Banbasa, Uttarakhand 262310, India  
Lat 28.991938° Long 80.076907°  
22/05/25 11:39 AM GMT +05:30

GPS Map Camera

अधिसारी अधिकारी  
नगर पंचायत  
बनवसा (चम्पावत)

Appendix

(Please refer to Para (k) of "Observation during site visit by committee")



*Handwritten signature in blue ink*

*Handwritten signature in blue ink*

आधिसायी अधिकारी  
 नगर पंचायत  
 बनवसा (चम्पावत)

Letter No. <sup>612</sup> /19/M.P.S.C/UIIDB/2024-25  
Dehradun, Date: 18 July, 2025

From, **R. Meenakshi Sundaram,**  
Managing Director,  
UIIDB, Uttarakhand.

To, **The District Magistrate,**  
Udham Singh Nagar,  
Uttarakhand.

**Sub: Request for Allotment of Land in Khatima for Development of Integrated Solid Waste Management Plan.**

Dear Sir,

The Uttarakhand Infrastructure and Investment Development Board (UIIDB) has initiated the project for Preparation of "Vision, detailed design, integrated infrastructure development plan, and implementation strategy; and to provide construction management support for development of Sharda Riverfront and adjoining areas in Tanakpur, Distt Champawat, Uttarakhand".

For this purpose, M/s Egis India Consulting Engineers Pvt. Ltd. (EGIS) in joint venture with Aesthetic Designs LLP have been engaged for consultancy assistance to UIIDB for preparation of the master plan of the above mentioned corridor.

As per the EC meeting held on 21<sup>st</sup> May 2025 under the Chairmanship of Chief Secretary & subsequent review meeting held with the District Magistrate of Champawat on 27th July 2025, an Integrated Solid Waste Management Plan has been proposed to be undertaken as part of the above mentioned master planning framework. And this Cluster model will cater the Solid Waste Management of Khatima, Banbasa and Tanakpur.

In this regard, your office may kindly undertake the process for identification and allotment of Suitable land in Khatima for setting up this Integrated Waste Management Plant. The identified parcel should ideally meet the technical and environmental criteria for waste processing and be accessible to all three towns.

We request your support and cooperation in enabling this initiative, which holds significant value for improving urban sanitation, environmental quality, and energy generation in the region.

Sincerely,

(R. Meenakshi Sundaram)  
Managing Director.

Copy to:

- 1) District Magistrate, Champawat, for Information.
- 2) SDM Tanakpur, for Information.
- 3) Nodal Officer, UIIDB
- 4) Shri. Rajeev R. Singh, SPOC- Sharda Corridor project.
- 5) Team Leader, Sharda Corridor Project for Information.

(R. Meenakshi Sundaram)  
Managing Director.

अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत  
बनबसा (चम्पावत)

PARIVESH  
परिवेश  
Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtual and Environmental Single Window Hub

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Government of India

My Account • My Proposals Environment Clearance • Only CRZ Clearance • My Proposals Forest Clearance • My Proposals Wildlife Clearance • Help

4:02:45 PM

View Report of Submitted Proposals

Enter value for Search:

Search

SNo.	SW Proposal No.	Proposal No.	Proposal Name	Category	User Agency Name	Area Applied (ha.)	Proposal physically received on	Proposal Status	View Report on Allocation of Fresh forest land (Form-A)
	1924	1924	Construction of berthing ground in Barabisa	Other	BARABISA PANCHAYAT BARABISA	1	24 May 2019	PENDING WITH DG	

SMACHH BHARAT | Digital India | data.gov.in | india.gov.in | myGov | MeitY | PMINDIA | NIC

© Content Owned, updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India  
Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright Policy | Hyperlinking Policy | Accessibility Statement | Disclaimer | Contact Us

For any technical support, Please Contact: FPOCL, IC, New Delhi, monitoring-fcp@nicdata.in

अधिकाारी प्रांत

अधिकाारी  
नगर पंचायत  
बनबसा (चम्पावत)



# Aayushi Hygiene And Care Pvt. Ltd.

C-93, Mahavir Vihar, Sector-1 Dwarka, New Delhi-110045  
 Mob. : 7982602342 E-mail : aayushihygienecare2017@gmail.com  
 MSME No. DL10D0009047, ISO No. 9001:2015

Ref. No. AHY/255/25-26

Date 27-12-2025

To,  
 The Executive Officer  
 Nagar Parishad, Banbasa  
 Banbasa, Uttarakhand

Subject: Submission of details of legacy waste processing at Banbasa site

Sir,  
 This is to respectfully submit the details of the legacy waste processing carried out at the Banbasa site under the jurisdiction of Nagar Parishad, Banbasa. As per records, the BOQ quantity was 4037 metric tons, while the actual quantity processed at the site is 4518 metric tons. The material-wise details of the processed quantity are given below:

नगर पंचायत बनबसा चम्पावत (उत्तराखंड)		
BOQ QTY-4037 Mt , Processing at site Qty -4518 Mt		
Material	Processing Qty.	Percentage %
RDF	271.08	6
Soil	2936.7	65
Inert	632.52	14
C&D	542.16	12
Other	135.54	3
Total	4518.00	100.00

Total processed quantity: 4518.00 metric tons (100%)

The above processing has been carried out as per the approved methodology and guidelines.

For  
 Aayushi Hygiene and Care Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

अधिशासी अधिकारी  
 नगर पंचायत  
 बनबसा (चम्पावत)

21/11/25-3

कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत।

संख्या:- 1564 /XXIII-स्था.नि.सहा./2026

दिनांक:- 05 जनवरी, 2026

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,  
हैड वर्क्स खण्ड, शारदा नहर बरेली (उ०प्र०)।विषय:- मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-577/2025 श्री जीवन सिंह बनाम  
उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-24.11.2025 के सम्बन्ध में।उपर्युक्त विषयक मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-577/2025 श्री  
जीवन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-24.11.2025 का सन्दर्भ ग्रहण  
करने करें। मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-577/2025 में दिनांक-24.11.2025 में  
पारित आदेशों के क्रम में गठित समिति के सदस्यों द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण दिनांक-24.12.  
2025 को किया गया है। गठित समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या-5  
के क्रमांक-2 में निम्नवत् अनुशंसा की गई है:-District Administration should instruct to Irrigation Deptt. First Subdivision, Banbasa  
Head Works, Sharda Canal Bareilly U.P. to permit the Nagar Panchayat Banbasa  
regarding immediately fencing of the presence site to restrict the moment of animals at  
the dumping site & the developed necessary arrangement of MSW site as per Solid Waste  
Management Rule-2016 till allotment and development of new land.अतः आपसे अनुरोध है कि अविलम्ब नगर पंचायत बनबसा के टोस अपशिष्ट संग्रहण  
स्थल पर अपने अधीन क्षेत्र का विधिवत् तार बाड़/घेराव करें, ताकि कूड़ा प्रसंस्करण स्थल/  
निराकरण स्थल/संग्रहण स्थल एवं अन्य स्थलों पर किसी भी प्रकार के पशु की आवाजाही न हो।  
संलग्नक-यथोपरि।(मनीष कुमार)  
जिलाधिकारी,  
चम्पावत।

B/C

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. मण्डलायुक्त, बरेली (उ०प्र०)।

जिलाधिकारी,  
चम्पावत।

B/C

अधिसायी अधिकारी  
नगर पंचायत  
बनबसा (चम्पावत)

Letter No. <sup>612</sup> /19/M.P.S.C/UIIDB/2024-25  
Dehradun, Date: 18 July, 2025

From,  
**R. Meenakshi Sundaram,**  
Managing Director,  
UIIDB, Uttarakhand.

To,  
**The District Magistrate,**  
Udham Singh Nagar,  
Uttarakhand.

**Sub: Request for Allotment of Land in Khatima for Development of Integrated Solid Waste Management Plan.**

Dear Sir,

The Uttarakhand Infrastructure and Investment Development Board (UIIDB) has initiated the project for Preparation of "Vision, detailed design, integrated infrastructure development plan, and implementation strategy; and to provide construction management support for development of Sharda Riverfront and adjoining areas in Tanakpur, Distt Champawat, Uttarakhand".


For this purpose, M/s Egis India Consulting Engineers Pvt. Ltd. (EGIS) in joint venture with Aesthetic Designs LLP have been engaged for consultancy assistance to UIIDB for preparation of the master plan of the above mentioned corridor.

As per the EC meeting held on 21<sup>st</sup> May 2025 under the Chairmanship of Chief Secretary & subsequent review meeting held with the District Magistrate of Champawat on 27th July 2025, an Integrated Solid Waste Management Plan has been proposed to be undertaken as part of the above mentioned master planning framework. And this Cluster model will cater the Solid Waste Management of Khatima, Banbasa and Tanakpur.

In this regard, your office may kindly undertake the process for identification and allotment of Suitable land in Khatima for setting up this Integrated Waste Management Plant. The identified parcel should ideally meet the technical and environmental criteria for waste processing and be accessible to all three towns.


We request your support and cooperation in enabling this initiative, which holds significant value for improving urban sanitation, environmental quality, and energy generation in the region.


Sincerely,


  
(R. Meenakshi Sundaram)  
Managing Director.

Copy to:

- 1) District Magistrate, Champawat, for Information.
- 2) SDM Tanakpur, for Information.
- 3) Nodal Officer, UIIDB
- 4) Shri. Rajeev R. Singh, SPOC- Sharda Corridor project.
- 5) Team Leader, Sharda Corridor Project for Information.

  
(R. Meenakshi Sundaram)  
Managing Director.

  
अधिशारी अधिकारी  
नगर पंचायत  
बनबसा (चम्पावत)



*(Handwritten signature)*  
अधिशान्ता अधिकारी  
नगर पंचायत  
बनबग्गा (चिप्यातल)



जुहाण्वी  
१३  
अधिसाक्षा अधिचारी  
नगर पंचायत  
बनबसा (चम्पावत)

**Appendix**

(Please refer to Para 5 of "Recommendations/ Remedial Actions by committee")



अंधिशास्त्री अधिकारी  
नगर पंचायत  
बनवसा (चम्पावत)



प्रमाणित  
अधिकाारी  
नगर पंचायत  
बनबसा (चम्पावत)



HEAD OFFICE  
Uttarakhand Pollution Control Board  
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"  
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, Phone No.-0135-2607092

UKPCB/HO/C&MK-207/2026/ 1347  
MSW-82

Date: 28/3/26

To,

Regional Officer,  
Haldwani,  
Uttarakhand Pollution Control Board.

**Sub: Regarding show cause notice issued to Executive Officer, Nagar Panchayat, Banbasa, Champawat.**

Sir,

Regarding the above subject, please refer to this office letter No. UKPCB/HO/MSW-82/251, dated 04.02.2026, wherein a show cause notice was issued to Executive Officer, Nagar Panchayat, Banbasa, Champawa. In this connection, a representation has been received from the nagar panchayat dated 11.03.2026 regarding compliance. A copy of the said representation is enclosed for reference.

Therefore, the regional office is directed to conduct an inspection of the site, assess the current compliance status, and submit a detailed inspection report to the Head Office at the earliest.

Encl.- As above.

Yours Faithfully

(P.K. Joshi)

Chief Environment Officer

9/c



UKPCB

क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)  
Ph No- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

पत्रांक-यूकेपीसीबी/आर0ओ0एच0/सी0-179/26/3434-1650

दिनांक:-28/03/26

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
देहरादून।

विषय:- Direction under Section-5 of Environmental (Protection) Act-1986 के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एच0ओ0/एम0एस0डब्लू0-82/251 दिनांक 04.02.2026 के अनुपालन में कार्यालय द्वारा नगर पंचायत बनबसा के ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल का निरीक्षण दिनांक 28.03.2026 को किया गया है। आख्यानुसार निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 तथा बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तदक्रम में मा0 एन0जी0टी0 में योजित पूर्व आदेश मूल आवेदन संख्या-606/2018 के क्रम में निकाय के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है।


अतः आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

  
(अनुराग नेगी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-प्रमारी कोर्ट सैल उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
0/9  
0/0  
28/03/26


### निरीक्षण आख्या।

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एच0ओ0/एम0एस0डब्लू0-82/251 दिनांक 04.02.2026 के अनुपालन में कार्यालय द्वारा नगर पंचायत बनबसा के ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 28.03.2026 को अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बनबसा श्री दीपक बुधलाकोटी की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

1. नगर पंचायत बनबसा में कुल 07 वार्ड हैं, जिसकी कुल जनसंख्या 6023 (वर्ष-2011 की जनगणना के अनुसार) तथा जनित जैविक व अजैविक ठोस अपशिष्ट की कुल मात्रा 2.1 टन प्रतिदिन है।
2. मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-577/2025 जीवन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 तथा बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक दिनांक 10.12.2025 के अनुक्रम में नगर पंचायत बनबसा के ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 24.12.2025 को किया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्नकों सहित मूल रूप से दिनांक 03.01.2026 को बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। तदक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एच0ओ0/एम0एस0डब्लू0-82/251 दिनांक 04.02.2026 द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बनबसा को कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।
3. नगर पंचायत बनबसा द्वारा पूर्व निस्तारित स्थल सिचाई विभाग उत्तर प्रदेश की भूमि में एकत्रित ठोस अपशिष्ट का निस्तारण कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान संदर्भित स्थल पर ठोस अपशिष्ट अवशेष नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बनबसा द्वारा निर्गत कारण बताओं नोटिस की बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित अनुपालन आख्या की प्रति उपलब्ध करायी गयी।
4. संयुक्त निरीक्षण आख्या की अनुशंसा में उल्लेखित बिन्दु संख्या-3 के अनुपालन में नगर पंचायत बनबसा द्वारा वर्तमान में ठोस अपशिष्ट का निस्तारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवंटित भूमि बनबसा में नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है, जोकि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 यथासंशोधित के अनुसार उचित स्थल नहीं है। निस्तारण स्थल में एक ट्रॉमल मशीन तथा एक फटका मशीन तथा एक कॉम्पेक्टर द्वारा ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण कर जैविक अपशिष्ट को कम्पोस्टिंग पिटों के माध्यम से तथा अजैविक ठोस अपशिष्ट को आर0डी0एफ0 के रूप तथा एम0आर0एफ0 केन्द्र में एकत्रित कर निस्तारण किया जा रहा है।
5. निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पंचायत बनबसा द्वारा क्लस्टर आधारित ठोस अपशिष्ट संयंत्र की स्थापना हेतु ग्राम-आनंदपुर के खतौनी संख्या-00028 का प्रस्ताव तैयार कर कार्यालय उपजिलाधिकारी पूर्णागिरी टनकपुर द्वारा जिलाधिकारी महोदय चम्पावत को दिनांक 25.03.2026 का पत्र प्रेषित किया गया है। (संलग्नक)
6. निरीक्षण के दौरान अपशिष्ट भण्डारण स्थल पर जैविक ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कम्पोस्टिंग/वर्मीकम्पोस्टिंग आदि की व्यवस्था पायी गयी तथा प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु अपशिष्ट को आंशिक रूप से मैन्यूवैली पृथक्करण कर कॉम्पेक्टर के माध्यम से कॉम्पेक्ट कर एकत्रित पाया गया। निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्लास्टिक वेस्ट के रिसाईक्लिंग की कार्यवाही गतिमान है। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ संलग्न हैं।

उपरोक्तानुसार नगर पंचायत बनबसा द्वारा वर्तमान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 तथा बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तदक्रम में मा0 एन0जी0टी0 में योजित पूर्व आदेश मूल आवेदन संख्या-606/2018 के क्रम में निकाय के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है। आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(चन्द्रबल्लभ जोशी)  
अनु0सहायक

  
(अनुराग नेगी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

**!!कार्यालय नगर पंचायत बनबसा (चम्पावत)!!**

(स्वच्छता ही सेवा)

Email- eo.nagarpanchayatbanbasa@gmail.com

पत्रांक - 2412/उ.प्रनि.बो./2025-26

दिनांक- 9/3/2026

सेवा में,

सदस्य सचिव,  
उत्तराखण्ड प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड,  
देहरादून।

विषय:-

उत्तराखण्ड प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड के पत्र संख्या UKPCB/HO/MSW-82/251  
दिनांक 04.02.2026 के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या UKPCB/HO/MSW-82/251 दिनांक 04.02.2026 जो कि इस कार्यालय को दिनांक 19 फरवरी 2026 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा SWM rule 2016 as amended के प्रावधान का पालन नहीं करने हेतु कारण बताये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में माननीय एन.जी.टी के आदेशानुसार गठित संयुक्त समिति के स्थलीय निरीक्षण दिनांक 24 दिसम्बर 2025 के दौरान किये गये observation एवं Recommendations/Remedial Actions के प्रतिउत्तर निम्नवत है:-

**Observation during site visit by committee**


क्र० सं०	Observation	Answer
(a)	Population of Nagar Panchayat Banbasa area, as per census 2011 is 6023 & area of Municipal Council is 88.42 Hact.	Yes
(b)	The site mentioned in the pitition is of Nagar Panchayat Banbasa MSW dumping site Banbasa Canal forest. The google map of the site and photographs taken during the inspection are enlosed as Annexure-03 The geographical coordinates of dumpsite Banbasa canal forest are Lat. 28.990941°, Long. 80.078713° and marked on google map.	Yes
(c)	Said site is located approximatly 300 Meters away from the office of Nagar Panchayat Banbasa. The Executive Officer Nagar Panchayat Banbasa informed that, the Municipal Committee since the formation, municipal waste disposal within the Municipal Committee has been taking place on land owned by the Uttar Pradesh Irrigation Deptt.	Yes
(d)	As informed by the Excutive Officer Nagar Panchayat Banbasa that total generation of Municipal Solid Waste from 07 wards is about 2.1 MT/Day. Nagar Panchayat Banbasa has adopted door to door collection mechanism. whole quantity is being dumped at the exisiting dumped site with about 40% segregation at source and about 33% plastic & other waste is being segregated at the site. Annexure.04	Yes

क्र० सं०	Observation	Answer
(e)	At the time of inspection Municipal Solid Waste was found to be dumped in un-scientific manner without any fencing/ boundary wall, storm water drain, leachate collection system, approach road to reach the end point, fire safety system and security arrangement at Banbasa canal forest. The google map showing the illegal MSW dumped site is enclosed at Annexure.05	नगर पंचायत बनबसा द्वारा कूड़े के चाओर टीन शेड से चहारदीवारी की गई थी। चूंकि वर्तमान में उक्त स्थल पर कूड़े का निस्तारण का कार्य अन्तिम चरण में था, इस कारण चहारदीवारी हटा दी गई थी। नगर पंचायत बनबसा द्वारा उक्त स्थल पर प्लान्ट नहीं लगाया गया था। केवल सेग्रीगेशन के पश्चात कूड़े को डम्प किया जाता था, इस कारण अन्य व्यवस्था नहीं की गई थी। (पूर्व में लगाये गये टीन शेड के फोटोग्राफ संलग्न हैं)
(f)	The deposited waste also not covered or compacted and most cases in these open dump site waste remains susceptible to open burning.	तत्समय अधिकतम कूड़े का निस्तारण किया जा चुका था, अवशेष कूड़े के निस्तारण की प्रक्रिया गतिमान थी।
(g)	The existing dump site may pose significant health hazards both to the general public living in the neighbourhood and nearby school children, as there was no arrangement to the control odour nuisance and pest infection in disputed site.	नगर पंचायत बनबसा के पास अपनी तथा राजस्व विभाग के स्वामित्व की भूमि उपलब्ध न होने से उक्त स्थल पर कूड़ा एकत्रित किया जा रहा था। वर्तमान में उक्त स्थल से सम्पूर्ण कूड़े का निस्तारण किया जा चुका है। (फोटोग्राफ संलग्न हैं)
(h)	The Nagar Panchayat Banbasa has stopped the dumping/disposing/storing of Municipal Solid Waste at disputed land from 24.12.2025, as informed by Nagar Panchayat representative. Annexure.06.	नगर पंचायत बनबसा द्वारा दिनांक 24.12.2025 से उक्त स्थल पर कूड़ा एकत्रित करना बन्द कर दिया है, (प्रमाण पत्र संलग्न है)
(i)	During inspection, it was also observed that to meetout with the requirement of per day waste generation, the Nagar Panchayat Banbasa started dumping the waste in illegally different site near by the Nagar Panchayat office & Banbasa canal forest. Office of the Jiledaar, First Sub-division, Banbasa Head Works, Sharda Canal Bareilly has also given notice for illegal dump of MSW time to time. Copy of notice enclosed as Annexure.07	सिंचाई विभाग द्वारा उक्त स्थल से कूड़ा हटाये जाने हेतु इस कार्यालय को नोटिस दिये गये थे।
(j)	At the time of inspection burning of solid waste was not observed at the site by the committee members. Excutive Officer Nagar Panchayat Banbasa has informed that during the summer season some instances of fire were reported.	प्राकृतिक कारणों से तथा असमाजिक तत्वों द्वारा कूड़े में आग लगने से नगर पंचायत बनबसा द्वारा अपने संसाधनों से एवं फायर ब्रिगेड के सहयोग से तत्काल पानी का छिड़काव कर आग बुझा दी जाती है।

क्र० सं०	Observation	Answer
(k)	Nagar Panchayat Banbasa has provided material recovery facility and compost pits at the near office site, but not found in operational during visit. The compost pits were observed without any waste. At present, there is no storm water and leachate was found accumulated at the site. Annexure.08.	नगर पंचायत बनबसा द्वारा 01 टन प्रति दिन का Material Recovery Facility (MRF) सेन्टर नगर पंचायत बनबसा कार्यालय में बनाया गया है जिसमें प्रतिदिन सूखा कूड़ा अलग-अलग खानों में रखा जाता है तथा एक प्लास्टिक काम्पैक्टर एवं एक फटका मशीन लगाई गई है तथा 06 कम्पोस्ट पिट बनाये गये हैं। प्लास्टिक काम्पैक्टर से प्लास्टिक को काम्पैक्ट किया जाता है तथा फटका मशीन से प्लास्टिक साफ किया जाता है एवं गीला कूड़ा किचन से निकलने वाला कूड़ा तथा खराब साग-सब्जी, फल इत्यादि को पिटों में रखा जाता है। (फोटोग्राफ संलग्न हैं)।
(l)	There is no mechanism of fire safety arrangement at the MSW site, but Nagar Panchayat Banbasa informed that fire fighting vehicles were used at the time of fire in dump site.	Fire safety arrangements नहीं लगाये गये हैं नगर पंचायत बनबसा द्वारा स्वयं एवं फायर ब्रिगेड की मदद से आग तत्काल बुझा दी जाती है।
(m)	The site is affected by foul odour and several animals and pets were observed in the around which can further act as vectors to the surrounding people.	पूर्व में टीन शैड से कूड़ा कवर किया गया था, वर्तमान में कूड़ा छोटने की मशीन लगाये जाने के कारण टीन शैड हटा दिया गया था।
(n)	Moreover, as per EC Meeting held on 21st May 2025 under the Chairmanship of Chief Secretary & Subsequent review meeting held with the District Magistrate of Champawat on 27th July 2025, an integrated solid waste management plan has been proposed to be undertaken as part of the master planning framework and this cluster model will cater the solid waste management of Khatima, Banbasa & Tanakpur also. (Annexure-09)	बनबसा क्षेत्र में अधिकतर भूमि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के स्वामित्व, वन एवं रेल विभाग की होने से क्लस्टर मॉडल में बनबसा, टनकपुर व खटीमा हेतु खटीमा में उपयुक्त स्थल के निर्धारण की प्रक्रिया गतिमान है। शीघ्र ही ऊधमसिंहनगर प्रशासन द्वारा शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड को भूमि आवंटित होनी है, जिसकी प्रक्रिया गतिमान है। (पत्र संलग्न है)


  
 अधिशासी/अधिकारी  
 नगर पंचायत  
 बनबसा (चम्पावत)

क्र० सं०	Observation	Answer
(o)	As per Nagar Panchayat Banbasa new site has been also identified at Chandfarm Road, Chuna Bhatta. P.O-Chandani, Banbasa, District-Champawat. Site is about 5.0Km away from the international boundary of Nepal. The total plot area is 8,000sq m the sanitary landfill area is 2,260 sq m 0.80 hact. Land transfer process is currently under process. After the land is transfered to the Nagar Panchyat Banbasa, the Banbasa Municipla Committee will dispose of the municipal waste at the site. Copy of letter enclosed as Annexure. 10.	नगर पालिका परिषद टनकपुर एवं नगर पंचायत बनबसा के कूड़े के प्रबन्धन हेतु चूना भट्टा रोड में भी 0.80 हे० वन विभाग की भूमि का चयन किया गया है। जिसकी हस्तान्तरण की प्रक्रिया गतिमान है, वर्तमान में हस्तान्तरण का प्रस्ताव संख्या FP / UK /Others /33662/2018 Forest Clearance हेतु Secretary General के पास कार्यवाही हेतु गतिमान है। (Current Status संलग्न है)
(p)	As per DPR, the waste spread area to be reclaimed is land of First Subdivision, Banbasa Head Works, Sharda Canal Bareilly and total quantity of waste is about 4037.13 MT. Copy of DPR collected from the Nagar Panchayat Banbasa is enclosed as Annexure.11	नगर पंचायत बनबसा के पास डी०पी०आर० गठन के समय 4037.13 MT लीगैसी वेस्ट उपलब्ध था, जिसका वर्तमान में वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किया जा चुका है।
(q)	Excutive Officer Nagar Panchayat Banbasa also informed that the DPR for processing and disposal of legacy waste has already prepared and tendering process has been completed and awarded the work to M/s Ayushi Hygine & Care Pvt Ltd, C-93 Mahaveer Vihar, Sector-1 Dwarka, New Delhi. As per the MoU, the agency has to dispose all the legacy waste by 6 (six) Months from the appointed date. 22 June 2025 Copy of the MoU & work order issued by the Nagar Panchayat Banbasa is enclosed as Annexure. 12	वर्तमान में सम्पूर्ण कूड़े का अनुबन्धित फर्म M/s Ayushi Hygine & Care Pvt Ltd, C-93 Mahaveer Vihar, Sector-1 Dwarka, New Delhi द्वारा वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किया जा चुका है। (सम्बन्धित फर्म द्वारा पूर्ण कार्य किये गये का जारी प्रमाण पत्र संलग्न है)
(r)	As per Solid Waste Management-2016, authorization is not required for a waste processing facility that handels less than 5.0 MT of waste per day. More specifically rule-15 (y) of the SWM Rule-2016 stipulats that local authorities or operators need to obtain authorization from the State Pollution Control Board (SPCB) only for facilities exceeding installed capacity of 5.0 TPD. Facilities processing less then this amount do not required this specific authorization though all facilities must still comply with general SWM Rules regarding segregation, storage & disposal. Annexure.13.	चूना भट्टा रोड में स्थित वन विभाग की 0.80 है० भूमि अथवा क्लस्टर के रूप में खटीमा में भूमि उपलब्ध हो जाने पर कूड़ा निस्तारण में SWM नियमों का पूर्ण पालन किया जायेगा।

  
 अधिशासी अधिकारी  
 नगर पंचायत  
 बनबसा (चम्पावत)

Recommendations/Remedial Actions by committee

क्र० सं०	Recommendations/Remedial Actions	Compliance Report
1.	According to the Solid Waste Management-2016, the responsibility of collection, segregation, storage, transportation, treatment and disposal of municipal solid waste lies with the local body hence municipal committee Banbasa should comply with the Solid Waste Management-2016.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-2016 के सुसंगत नियमों का सम्यक अनुपालन हेतु नगर पंचायत बनबसा कटिबद्ध है, एवं प्रत्येक स्तर व चरण पर इसका अनुपालन अक्षरशः करने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं।
2.	District Administration should instruct to Irrigation Deptt. First Subdivision, Banbasa Head Works, Sharda Canal Bareilly U.P. to permit the Nagar Panchayat Banbasa regarding immediately fencing of the presence site to restrict the moment of animals at the dumping site & the developed necessary arrangement of MSW site as per Solid Waste Management Rule-2016 till allotment and development of new land.	जिलाधिकारी महोदय चम्पावत द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड, शारदा नहर बरेली, उत्तर प्रदेश को कार्यालय पत्र संख्या 1564/XXIII-स्था0नि0सहा0/2026 दिनांक 05 जनवरी 2026 द्वारा अनुपालन हेतु पत्र जारी किया जा चुका है (पत्र संलग्न है)।
3.	Nagar Panchayat Banbasa, should take immediate initiation with district administration for the allotment of the new landfill site and shall comply with the all provisions of Solid Waste Management Rule-2016 as amended for the disposal of municipal solid waste	बनबसा क्षेत्र में अधिकतर भूमि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के स्वामित्व एवं वन एवं पर्यावरण विभाग व नदी नालों के समीप होने के कारण क्लस्टर मॉडल में बनबसा, टनकपुर व खटीमा हेतु खटीमा में उपयुक्त स्थल के निर्धारण की प्रक्रिया गतिमान है। शीघ्र ही ऊधमसिंहनगर प्रशासन द्वारा शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड को भूमि आवंटित होनी है, जिसकी प्रक्रिया गतिमान है। अतः उपरोक्त पर नियमानुसार व तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। (पत्र संलग्न है)।
4.	The material recovered form the bio-mining process i.e RDF, C&D waste, inert material, bio- compost and other recyclable material should be disposed off as per CPCB guidelines.	नगर पंचायत बनबसा द्वारा वर्तमान में 10 TPD का ट्रोमल स्थापित किया गया है, जिससे सूखा कूड़ा अलग कर MRF में रखा जा रहा है तथा गीले कूड़े से पिट के माध्यम से खाद बनाई जा रही है साथ ही C&D वेस्ट से नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत गड्ढे भरे जा रहे हैं। (फोटोग्राफ संलग्न है)।

  
 अधिशासी अधिकारी  
 नगर पंचायत  
 बनबसा (चम्पावत)

क्र० सं०	Recommendations/Remedial Actions	Compliance Report
5.	Nagar Panchayat Banbasa take immediate action to prevent any unregulated burning of dump waste at any point of time.	नगर पंचायत द्वारा जहाँ पर वर्तमान कूड़ा संग्रहण व प्रसंस्करण किया जा रहा है, वहाँ पर आग की घटनाओं की रोकथाम हेतु सी०सी०टी०वी० से लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है (सी०सी०टी०वी० फोटोग्राफ संलग्न हैं)।
6.	Nagar Panchayat Banbasa shall do dense plantation all around the dumping site to prevent the odour nuisance.	उपरोक्त क्षेत्र के आसपास पौधों के माध्यम से ग्रीन कर्टेन बनाये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय

अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत बनबसा  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत  
बनबसा (चम्पावत)

दिनांक-04.09.2025 को जिलाधिकारी चम्पावत की अध्यक्षता में जनपद अन्तर्गत नगर निकायों द्वारा संचालित किये जा रहे विकास कार्यों/योजनाओं के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।  
उपस्थिति संलग्नानुसार।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चम्पावत द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया-

1. जनपद अंतर्गत स्थानीय निकायों में केन्द्र पोषित व शहरी विकास विभाग द्वारा संचालित पी0एम0 स्वनिधि योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद चम्पावत को प्राप्त 165 आवेदनों के लक्ष्य के सापेक्ष 206 की प्रगति की गई है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद, टनकपुर द्वारा 455 के सापेक्ष 477 की प्रगति, नगर पालिका परिषद, लोहाघाट द्वारा 85 के सापेक्ष 92 तथा नगर पंचायत बनवसा द्वारा 85 के सापेक्ष 79 की प्रगति हासिल की गई है। जनपद चम्पावत को प्राप्त कुल लक्ष्य 790 के सापेक्ष 894 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया गया है। नगर पंचायत बनवसा में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति न्यून पाई गयी, जिस हेतु अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बनवसा को 100 प्रतिशत प्रगति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त योजना को पुनरीक्षित करते हुए नवीन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवंटन प्रक्रियाधीन है। शहरी विकास विभाग द्वारा आवंटित किये जाने वाले लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समस्त नगर निकायों द्वारा ससमय आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही:- अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, जनपद चम्पावत)।

2. स्वनिधि से समृद्धि योजना- भारत सरकार द्वारा पी0एम0 स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित स्ट्रीट वेण्डर्स एवं उनके परिजनों को भारत सरकार की 08 महत्वपूर्ण योजनाओं से लाभान्वित किये जाने हेतु नगर पालिका परिषद, टनकपुर में संचालित स्वनिधि से समृद्धि योजना के अंतर्गत सम्बन्धित फड़-फेरी व्यवसायियों की पूर्ण प्रोफाइलिंग न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए समस्त वेण्डर्स एवं उनके परिजनों की शत प्रतिशत प्रोफाइलिंग करते हुए सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर योजना का ससमय प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी टनकपुर को निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त अन्य निकायों तथा सम्बन्धित विभागों को भी स्वनिधि से समृद्धि योजना के अंतर्गत सम्बन्धित फड़-फेरी व्यवसायियों तथा उनके परिजनों को योजनाओं का लाभ दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही:- जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक/मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला कार्यक्रम एवं बाल विकास अधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी/श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टनकपुर/ अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, जनपद चम्पावत)।

3. दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन:- मिशन अन्तर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अन्तर्गत जनपद को प्रदत्त लक्ष्य-18 के सापेक्ष 39 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार सामाजिक उत्थरण एवं संस्था विकास (SMID) के अन्तर्गत जनपद को प्राप्त लक्ष्य 11 के सापेक्ष-28, शहरी बेघरों हेतु आवास योजना (SUH) के तहत नगर निकाय टनकपुर एवं बनवसा को प्राप्त लक्ष्य 1-1 के सापेक्ष प्रगति 0 है। शहरी फेरी व्यवसायियों को सहयोग (SUSV) घटक के अंतर्गत जनपद को प्राप्त लक्ष्य 362 के सापेक्ष प्रगति शत प्रतिशत है। शहरी बेघरों तथा निराश्रितों हेतु आश्रय स्थल बनाये जाने के लिए नगर पालिका परिषद, टनकपुर, नगर पंचायत बनवसा एवं नवगठित नगर पंचायत, पाटी में रैन बसेरा आदि के निर्माण हेतु नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना माह सितम्बर, 2024 में आवासन एवं शहरी कार्यमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समाप्त

क्रमशः पृष्ठ-02/पर

कर दी गई है तथा भारत सरकार द्वारा दीन दयाल जन आजीविका शहरी प्रारम्भ की जा रही ... जिसके समस्त घटकों के सम्बन्ध में विभागीय दायित्वों, तथा लक्षित समूहों को योजना के लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में बैठक में जानकारी प्रदान की गई। नवीन योजना के पायलट प्रोजेक्ट के परीक्षणोपरान्त योजना के घटकों के अंतर्गत लक्ष्यों को आवंटित किया जायेगा। तदनुसार दीन दयाल जन आजीविका शहरी (DJAY-S) योजनान्तर्गत आवंटित किये जाने वाले लक्ष्यों की ससमय पूर्ति किये जाने हेतु समस्त नगर निकायों तथा सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही:- जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक/मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला कार्यक्रम एवं बाल विकास अधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी/श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टनकपुर/अधिकासी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, जनपद चम्पावत)।

4. वेण्डिंग जोन निर्धारण एवं वेण्डिंग जोन निर्माण की प्रगति- अवगत कराया गया कि जनपद की समस्त नगर निकायों में स्थायी नगर फेरी समिति का गठन किया गया है। नगर पालिका परिषद चम्पावत द्वारा वेण्डिंग जोन बनाये जाने हेतु कार्यदायी संस्था सी.एन.डी.एस लोहाघाट से डी.पी.आर का गठन किया गया है। कार्ययोजना की समीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि वर्तमान में वेण्डिंग जोन की स्थापना चम्पावत नगर के मुख्य बाजार क्षेत्र में राज्य मार्ग के दोनों ओर बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण में चर्चा उपरान्त यह मत स्थापित किया गया कि निकट भविष्य में चम्पावत नगर में गोल्ज्यू कॉरीडोर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। गोल्ज्यू कॉरीडोर परियोजना अन्तर्गत विभिन्न अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों तथा मुख्य मार्ग में यातायात प्रबंधन, जन सुरक्षा आदि के दृष्टिगत अन्यत्र वैकल्पिक उपयुक्त स्थान चयनित करते हुए वेण्डिंग जोन बनाये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकासी अधिकारी, नगर पंचायत बनबसा द्वारा अवगत कराया गया कि मा. मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत बनबसा निकाय में वेण्डिंग जोन की स्थापना का विस्तृत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। जिसमें प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जनपद के अन्य समस्त निकायों में वेण्डर्स की संख्यानुसार उपयुक्त स्थल चयनित करते हुए वेण्डिंग जोन के प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही:-अधिकासी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, जनपद चम्पावत)।

5. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)- अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, टनकपुर एवं लोहाघाट को निर्देशित किया गया कि निकायों के अपशिष्ट निस्तारण स्थल में एकत्रित लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु तैयार की गई कार्ययोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु निदेशालय स्तर पर समन्वय करना सुनिश्चित करें। अधिकासी अधिकारी, चम्पावत एवं पाटी को निर्देशित किया गया कि निकायों के अपशिष्ट निस्तारण स्थल में एकत्रित लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु कार्ययोजना तैयार कर तत्काल निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अधिकासी अधिकारी, नगर पंचायत, बनबसा लीगेसी वेस्ट के निस्तारण सम्बन्धित कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अधिकासी अधिकारी, नगर पंचायत, बनबसा द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि नगर पंचायत बनबसा के गठन के समय से ही निकाय अंतर्गत अपशिष्ट का निस्तारण उ0प्र0 सिंचाई विभाग की भूमि में किया जा रहा है। वर्तमान में उ0प्र0 सिंचाई विभाग द्वारा अधिकासी अधिकारी, नगर पंचायत बनबसा को उक्त स्थल पर अपशिष्ट निस्तारण न किये जाने हेतु नोटिस दिये जाने के कारण अपशिष्ट का उचित प्रबंधन किये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। चर्चा के दौरान अधिकासी अधिकारी, नगर पंचायत बनबसा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान अपशिष्ट निस्तारण स्थल के समीप चिकित्सा विभाग की 08 बीघा भूमि उपलब्ध है तथा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 01 बीघा भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस हेतु अधिकासी अधिकारी, नगर पंचायत बनबसा एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत को अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिगत आपसी समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ निकाय के निकटस्थ क्षेत्रों में भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करते हुए यथोचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही: मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत/अधिकासी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, जनपद, चम्पावत)।

6. सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय एवं व्यक्तिगत शौचालय की भौतिक प्रगति— जनपद अंतर्गत अवस्थित समस्त नगर निकायों को निदेशालय द्वारा 131 सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय आवंटित किए गये हैं, जिसके सापेक्ष शत प्रतिशत 131 सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशालय द्वारा जनपद अंतर्गत 1165 व्यक्तिगत शौचालय अवमुक्त किये गये हैं, जिसके सापेक्ष समस्त 1165 आवेदकों को शौचालय निर्माण हेतु धनराशि वितरित की गई है। जनपद अंतर्गत अवमुक्त व्यक्तिगत 1165 शौचालयों में से 1108 शौचालय पूर्ण रूप से निर्मित किये जा चुके हैं। नगर पालिका परिषद, टनकपुर में आवंटित 484 शौचालयों में से 440 पूर्ण रूप से निर्मित हैं एवं 44 शौचालय निर्माणाधीन हैं एवं नगर पंचायत बनबसा में अवमुक्त 498 व्यक्तिगत शौचालयों के सापेक्ष—485 पूर्ण रूप से निर्मित हैं तथा 13 शौचालय निर्माणाधीन है।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, टनकपुर एवं नगर पंचायत बनबसा को निर्माणाधीन शौचालयों का कार्य माह अक्टूबर, 2025 तक पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। यदि किसी लाभार्थी द्वारा शौचालय निर्माण में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है अथवा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित लाभार्थियों को आवंटित धनराशि की वसूली की कार्यवाही नियमानुसार करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही:— अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, टनकपुर एवं नगर पंचायत बनबसा)

7. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)— अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया कि लाभार्थी आधारित स्वतंत्र निर्माण (BLC) योजनान्तर्गत जनपद में नगर पालिका परिषद चम्पावत एवं टनकपुर में कुल 151 आवास स्वीकृत किये गये हैं। जिसके सापेक्ष 140 आवासों का निर्माण पूर्ण रूप से कर लिया गया है। 03 आवासों का कार्य रूफ लेवल, 05 Plinth Level तक किया गया है तथा 03 आवासों को निरस्त किया गया है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चम्पावत एवं टनकपुर अपूर्ण आवासों का निर्माण माह अक्टूबर, 2025 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही:— अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, जनपद चम्पावत)।

8. सी0एम0 हेल्पलाई पोर्टल 1905— नगर पालिका परिषद, चम्पावत की 01, टनकपुर की 03, लोहाघाट की 01 शिकायतें लम्बित पाई गयीं। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, सी0एम0 हेल्पलाईन पोर्टल-1905 में दर्ज शिकायतों का प्रभावी अनुश्रवण कर यथाशीघ्र निस्तारण किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही शिकायतकर्ता को पोर्टल से कॉल कर निस्तारण विषयक आख्या से अवगत करायेंगे। उक्त अतिरिक्त के जन समर्पण पोर्टल पर सन्दर्भित किये गये समस्याओं का समयबद्ध रूप से का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही:— अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, जनपद चम्पावत)।

9. गौशाला निर्माण एवं संचालन की प्रगति— नगर पालिका परिषद, चम्पावत द्वारा गौशाला निर्माण हेतु 340.07 लाख की डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित की गई है। पूर्व में निदेशालय को प्रेषित किये गये विस्तृत कार्ययोजना की कार्य लागत अधिक होने के दृष्टिगत मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत को निर्देशित किया गया कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चम्पावत तथा परियोजना प्रबंधक, पेयजल निर्माण एवं संसाधन इकाई, लोहाघाट से समन्वय कर नरियाल गांव क्षेत्र में पशुपालन विभाग की उपलब्ध भूमि में से समतल/उपयुक्त भूमि चिन्हित कर पुनरीक्षित आंगणन गठित करवाते हुए संशोधित प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा। नगर पालिका परिषद, टनकपुर में निर्माणाधीन गौशाला का कार्य समय पूर्ण किये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, टनकपुर समय-सीमा का निर्धारण कर प्राथमिकता के आधार पर गौशाला निर्माण का कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही:— मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/परियोजना प्रबंधक, पेयजल निर्माण एवं संसाधन इकाई, लोहाघाट/अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, जनपद चम्पावत)।

क्रमशः पृष्ठ-04/पर

10. ए0बी0सी0 सेन्टर निर्माण एवं संचालन— जनपद अन्तर्गत पशु चिकित्सा विभाग की भूमि नरियाल गांव में प्रस्तावित ए0बी0सी0 सेन्टर के निर्माण हेतु रू0 468.79 लाख का विस्तृत प्रास्कलन श्रम को प्रेषित किया गया है। पूर्व में निदेशालय को प्रेषित किये गये विस्तृत कार्ययोजना की कार्य लागू अधिक होने के दृष्टिगत मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत को निर्देशित किया गया कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चम्पावत तथा परियोजना प्रबंधक, पेयजल निर्माण एवं संसाधन इकाई, लोहाघाट से समन्वय कर नरियाल गांव क्षेत्र में पशुपालन विभाग की उपलब्ध भूमि में समतल/उपयुक्त भूमि चिन्हित कर पुनरीक्षित आंगणन गठित करवाते हुए संशोधित प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बनबसा द्वारा बनबसा में ए0बी0सी0 सेन्टर के निर्माण हेतु आंगणन/ डी0पी0आर रू0 109.94 लाख का प्रस्ताव शहरी विकास निदेशाल को प्रेषित किया गया है, जिसमें निदेशालय स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर पालिका परिषद, टनकपुर, नगर पंचायत बनबसा एवं आस-पास के क्षेत्रों में श्वान पशु बंध्याकरण कार्यक्रम हेतु नगर पंचायत बनबसा अंतर्गत निर्माण हेतु प्रस्तावित ए0बी0सी0 सेन्टर का उपयोग किया जाये। उक्त के अतिरिक्त समस्त अधिशासी अधिकारी, अपने नगर निकाय के अन्तर्गत एक-एक शवदाह गृह/मोक्षधाम का निर्माण किये जाने हेतु उपयुक्त स्थल चयनित कर अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही:— मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/परियोजना प्रबंधक, पेयजल निर्माण एवं संसाधन इकाई, लोहाघाट/अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, जनपद चम्पावत)।

11. स्लॉटर हाउस निर्माण एवं संचालन की प्रगति— अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद की समस्त नगर निकायों में स्वच्छ मॉस आपूर्ति हेतु स्लॉटर हाउस की आवश्यकता हेतु उनके निर्माण किये जाने सम्बन्धी तथ्य संज्ञान में लाया गया। अधिशासी अधिकारी, लोहाघाट द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निकाय लोहाघाट में स्लॉटर हाउस निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है। निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र स्लॉटर हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाय। जनपद की अन्य समस्त निकायों को निर्देशित किया गया कि अपनी नगर निकायों अंतर्गत स्लॉटर हाउस निर्माण किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:— अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, जनपद चम्पावत)।

12. मा0 मुख्यमंत्री घोषणा— बैठक के दौरान जनपद में निकाय स्तर मा0 मुख्यमंत्री जी की 05 घोषणाएं लंबित पायी गईं। इस हेतु सम्बन्धित निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह मा0 मुख्यमंत्री जी की लंबित घोषणाओं के क्रियान्वयन/पूर्ति हेतु प्राथमिकता के आधार समय-सीमा का निर्धारण करते हुए तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही:— अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, जनपद चम्पावत)।

13. जनपद अन्तर्गत समस्त नगर निकायों को 15 वां वित्त/राज्य वित्त/अवस्थापना विकास निधि/जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अवस्थापना विकास निधि/सांसद निधि/विधायक निधि एवं जिला स्तर से प्राप्त अनटाईड फण्ड, टोस अपशिष्ट के तहत प्राप्त धनराशि का आय-व्यय विवरण की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान समस्त नगर निकाय के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं हेतु धनराशि प्राप्त हुई है, उन समस्त योजनाओं का कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे और यदि किसी योजना को पूर्ण किये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो समयबद्ध रूप से योजना की डी0पी0आर0/आंगणन/प्रस्ताव गठित करते हुए उचित माध्यम से निदेशालय/शासन स्तर पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही:— अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, जनपद चम्पावत)।

क्रमशः पृष्ठ-05/पर



(05)

अन्त मे बैठक में उपरिथत सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गई।

कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत।

संख्या-5845/तेईस-स्था.नि.सहा./2025 दिनांक-12 सितम्बर, 2025

(मनीष कुमार)  
जिलाधिकारी,  
चम्पावत।

प्रतिलिपि- आयुक्त महोदय, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- निदेशक महोदय, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत।
2. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत।
3. प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक, चम्पावत।
4. जिला कार्यक्रम एवं बाल विकास अधिकारी, चम्पावत।
5. जिला पूर्ति अधिकारी, चम्पावत।
6. श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टनकपुर।
7. सप्तमस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद चम्पावत।

B.wm.

जिलाधिकारी,  
चम्पावत।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
चम्पावत।

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,  
नगर पंचायत बनबसा, चम्पावत।

पत्रांक— अपशिष्ट प्रबन्धन/2025-26/ 816

दिनांक 07.11.2025


विषय— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनबसा में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत कूड़े के प्रबन्धन हेतु एम.आर.एफ. सेन्टर संचालन हेतु अस्थाई रूप से भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक—2183/ठो.अप.प्रब./2025-26 दिनांक 09.9.2025 के क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनबसा में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत कूड़े के प्रबन्धन हेतु एम.आर.एफ. सेन्टर संचालन हेतु अस्थाई रूप से 01 बीघा भूमि अस्थाई रूप से निम्न शर्तों के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की जाती है।


1. भूमि या प्लान्ट प्राप्त होने पर उक्त भूमि से उक्त कूड़े का प्रबन्धन हटा दिया जायेगा।
2. उक्त कूड़े का प्रबन्धन उक्त भूमि से स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी से लगभग 250 फीट से दूर एक किनारे पर किया जायेगा।
3. कूड़े के प्रबन्धन के स्थान पर चारों ओर चहारदीवारी की जायेगी, जिससे कि स्वास्थ्य केन्द्र पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

भवदीय,

  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
चम्पावत।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि—जिलाधिकारी, महोदय चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
चम्पावत।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पूर्णागिरी(टनकपुर)।

संख्या:- 255/एस0टी0- विविध /2025-26

दिनांक 25 मार्च, 2026

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
चम्पावत।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-577/2025 जीवन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में क्लस्टर आधारित ठोस अपशिष्ट संयंत्र की स्थापना हेतु वैकल्पिक भूमि चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 2644/ सात - भूलेख / भूमि प्रस्ताव / 2025-26 दिनांक 24.02.2026 कर संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-577/2025 जीवन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में क्लस्टर आधारित ठोस अपशिष्ट संयंत्र की स्थापना हेतु ग्राम - आनन्दपुर के खतौनी खाता संख्या - 00028 खसरा नं.-21स भूमि का प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसके संबंध में तहसीलदार पूर्णागिरी की आख्या निम्नवत है।


- 1- प्रस्तावित स्थल - सड़क से 500 मी की दूरी पर है।
- 2- प्रस्तावित स्थल के आसपास रिहायसी क्षेत्र नहीं है, 01 आवासीय भवन स्थित है।
- 3- प्रस्तावित स्थल- रोखड़ से 100 मीटर की दूरी पर है।।
- 4- स्वच्छ भारत मिशन के निर्देशानुसार उक्त परियोजन हेतु - न्यूनतम भूमि (कम से कम 01हे0) के सापेक्ष उक्त स्थल पर 0.201 हे0 भूमि है।

अतः तहसीलदार पूर्णागिरी की आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नक- उक्तानुसार।


भवदीय,

(अनुराग आर्या )  
उप जिलाधिकारी,  
पूर्णागिरी (टनकपुर)





GPS Map Camera



**Banbasa, Uttarakhand, India**   
X3rg+prg, Banbasa, Uttarakhand 262310, India  
Lat 28.991953° Long 80.077404°

